

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 14(2)म.म./2008

जयपुर, दिनांक: 25-2-2011

आज्ञा

माननीय मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण को स्वीकृत वैवेतिक अनुदान कोष की राशि में से निर्धन व्यक्तियों को स्वीकृत की जाने वाली राशि रूपये 1000/- (अक्षरे रूपये एक हजार मात्र) के सम्बन्धित को नकद भुगतान किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (सार्वजनिक वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग) विभाग द्वारा उनके अशा० टीप संख्या प० 1(2)वित्त/साविलेनि/2010 दिनांक 30.12.2010 द्वारा सार्वजनिक वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-1 के नियम 74 में शिथिलन प्रदान करते हुए इस सचिवालय को अधिकृत किये जाने के फलस्वरूप जारी की जाती है।

आज्ञा से,

(सांवर मल वर्मा)
शासन उपर सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण।
3. वित्त (सार्वजनिक वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग) विभाग
4. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

(26)
शासन उपर सचिव